पदों की संख्या इस प्रकार है :—

1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली 8 पद
2. मौलाना आजाद मेडिकल कालिज नई दिल्ली 8 पद
3. गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली 4 पद
4. लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली 8 पद
5. यूनिवर्सिटी कालिज आफ मेडिकल साइन्सिज, नई दिल्ली 35 पद
6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 54 पद
7. श्री गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली 42 पद

(ख) जहां तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कालिज, गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली का संबंध है, जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी तैनात होते है, के रिक्त पद संघ लोक सेवा आयोग विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाते है और भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है यह सूचित किया गया है कि सभी पद विज्ञापित कर दिए गए हैं और अप्रैल-मई, 1988 में चयन किए जाने की आशा है। जहां तक यूनिवर्सिटी कालिज आफ मेडिकल साईंसिज का संबंध है, यह सूचित किया गया है कि ये पद पहले ही विज्ञापित किए जा चुके हैं और इनको भरे जाने की कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षण संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा

1506 डा० रत्नाकर पाण्डेय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी शिक्षण "संस्थाओं" को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृत विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाहो) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी उच्च शिक्षा के संस्थान को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के रूप में अधिसूचित कर सकती है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों अथवा अन्य एजेंसियों के परामर्श से, जहां कहीं भी आवश्यक है, सात संस्थाओं को समझे जाने वाले विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सात प्रस्तावों के संबंध में अपने विचार/सिफारिशें तैयार की जा रही है, ताकि सरकार उन पर विचार कर सके। एक संस्था से प्राप्त प्रस्ताव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनके विचारार्थ भेजने से पहले संबंधित विभाग के विचारों/टिप्पणियों के लिए उनको भेज दिया गया है।

Road Bridges in Orissa

1507. KUMARI SUSHILA TIRIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of road-bridges under construction in Orissa;

(b) the amount spent by Railways on these bridges so far;

(c) the cost of construction of these projects; and

(d) the expected time of their completion?